शोध मंथन Vol. XIV No.II Apr.-June 2023 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Impact Factor 8.870 (SJIF)

हिंदू समाज और तलाक मे एक समकालीन विवैचना

प्राप्तिः 24.06.2023
स्वीकृतः 29.06.2023

50

अजय कुमार वर्मा
शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग
के०आर०(पी०जी०) कॉलेज, मथुरा
डॉ० भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा
ईमेलः *verma.ajay587@gmail.com*

डॉ० राजेश अग्रवाल
प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग
के०आर०(पी०जी०) कॉलेज, मथुरा

सारांश

'हिन्दू विवाह एक संस्कार है' की पौराणिक परम्परागत मूल्य की परिणिति विवाह विच्छेद तक पहुँची। भारत में हिन्दू विवाह को पति–पत्नी के मध्य जन्म–जन्मान्तर का संबंध माना जाता है। परन्तु हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के उपरान्त इन दोनों के मध्य अलग होने की स्वतंत्रता प्राप्त हुयी। व इस संबंध की प्रकृति में परिवर्तन आया व विवाह विच्छेद की अवधारणा हिन्दू समाज का अंग बन गयी। इस क्रम में हम विवाह, विवाह अधिनियम 1955, विवाह–विच्छेद, तलाक के कारण, तलाक की प्रवृत्तिया, साहित्य समीक्षा व सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इसकी स्थिति की विवेचना के साथ निष्कर्ष पह पहुँचे कि आज हिन्दू विवाह पर तलाक की दर बढ़ रही है।

मुख्य बिन्दु

तलाक, विवाह–विच्छेद, प्रवृत्तिया, कलंक, सामंजस्य, दायित्व–हीनतत, संयुक्त परिवार।

हिन्दू विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना गया है इसलिये यह विवाह की विशेष विधि है। हिन्दू विवाह अनेको रीति रिवाजों का एक सम्मेलन हैं। पूर्व समय में समझा जाता था कि गृहस्थ की धर्म, अर्थ, काम मोक्ष का स्त्रोत है इस कारण हिन्दू विवाह के तीन उद्देश्य होते है।

1. धर्म–धर्म का तात्पर्य कर्तव्य पालन ही है जिसमें पुरूष अपनी पत्नी के साथ यज्ञ सम्पन्न करता है।
2. प्रजा– सन्तान उत्पति से पितृ ऋण से मुक्त होती है। ऐसी मान्यमा है कि बिना पुत्र के माक्ष नहीं मिलता।
3. रति–रति का तात्पर्य शारीरिक सुख से है शास्त्रों में यौन इच्छा की पूर्ति संतान उत्पत्ति के लिये आवश्यक है। विवाह इस उद्देश्य को पूर्ण करता है।

पूर्व समय में विवाह विच्छेद का कोई भी कानून नहीं था जिसमें कि प्रथम तय अधिनियम 1955 के अर्न्तगत हिन्दू, बौद्ध, शिख में विवाह विच्छेदन हो सकता है।

डाववोर्स विवाह–विच्छेद की उत्पत्ति डाइवर्स शब्द से हुई है जबकि विवाह–विच्छेद का अर्थ प्रायः तलाक से है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। विवाह तलाक से समाप्त होते हैं इसलिऐ हिन्दू विवाह के अन्तर्गत विवाह–विच्छेद का कोई प्रावधान नहीं था, क्योंकि हिन्दू विवाह एक धार्मिक संस्कार है जिसके अन्तर्गत 7 जन्म जन्मान्तर का संबंध माना जाता था पर आज के समय में तलाक दिल्ली जैसे बडे शहरों में भी एक आम घटना हो गयी है पूर्व समय से तलाक वाले व्यक्तियों को समाज हीन भावना से देखता था परन्त आज के समय में विवाह–विच्छेद एक सामान्य सी स्थिति हो गई है जिसमें दिल्ली, बम्बई व बडे षहरों से विवाह विच्छेद की दर काफी हो गई तथा विवाह–विच्छेद को सामान्य माना जाता है। जबकि मनु द्वारा विवाह–विच्छेद एक ही कारण से हो सकता है। जिसमें पति या पत्नी के असाध्य रोग होने पर दोनो में से तलाक ले सकते है जिसमें कि बीमारी ठीक न होने की स्थिति में विवाह–विच्छेद हो सकता है। इस कारण आज के समय में पति–पत्नी के संबंधों में बदलाव आया है, पहले के समय में पति परमेश्वर के रूप में देखते थे पर आज के समय में ऐसा नहीं है। जबकि पूर्ण समय में तलाक को एक कलंक के रूप में माना जाता था। आज के समय में विवाह–विच्छेद के सैकड़ों के केश मिल जाते है। 1960 के बाद से कला की दर में वृद्धि के लिए महिलाओं की भर्ती आर्थिक स्वतंत्रा को अक्सर एक प्रमुख योगदान माना जाता है जबकि महिलाओं का रोजगार पारपारिंक वैवाहिक भूमिकाओं की अपेक्षाओं को कम कर सकता है। यह स्पष्ट होता है कि जिस प्रकार दिल्ली भारत की राजधानी (तलाक की राजधानी) है व तलाक के रूप में उभर कर सामने आ रही है। जिस प्रकार 2007 में तलाक के 9000 हजार मामले दर्ज हुऐ थे जिसके अतिरिक्त दिल्ली में तलाक को एक सामाजिक कलंक न माना जाना भी एक कारण हो सकता है। आज के समय में गृहकार्य में एक–दूसरे से अपेक्ष कारण भी है। इस कारण आज के समय में पति–पत्नी के सम्बन्ध में बदलाव आया है जैसे पहले पति को परमेश्वर के रूप में देखते थे मनु के अनुसार इस संसार में विवाह के बिना सन्तान उत्पत्ति संभव नहीं है और इसके बिना इस लोक व परलोक में सुख प्राप्त नहीं कर सकते है।

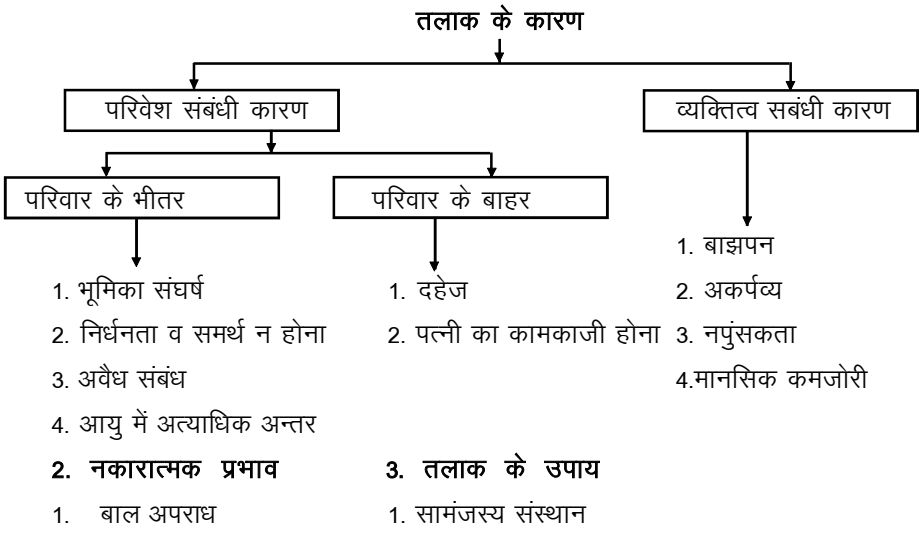

2.	वैश्यावृत्ति	2. मीडिया का प्रभावी उपयोग
3.	तनावपूर्ण जीवन	3. स्वार्थ, अंहकार, विलास प्रवृत्तियों का निवारण
4.	स्वच्छंद यौनाचार में वृद्धि	4. लोक अदालतों की सक्रिया भूमिका
5.	दायित्वहीनता में वृद्धि	5. मूल्य अधारित शिक्षा में वृद्धि

पारिवारिक में विघटन होने के कारण विवाह–विच्छेद नाते व रिश्ते का महत्व कम होने के कारण विवाह–विच्छेद की वृद्धि हुई है पहले समय के लोगों के परिवारिक दबाब व एक दूसरे को समझने के कारण जबकि संयुक्त परिवार के अन्दर बहुत कम विवाह–विच्छेद देखने को मिलता था, पहले कृषि प्रधान समाज था तो उसके कारण संयुक्त परिवार थे।

सर्विस प्रधान समाजः– एकल परिवार के कारण समानता की भावना न्याय रूप में प्रसारित हुई जिसको शिक्षा के प्रसाद ने प्रवल वनाया है। यहां एकल परिवार के सन्दर्भ में पार्सन ने कहा कि एकल परिवार औद्योगिक समाज के लिये सर्व अधिक उपयुक्त व्यवस्था है।

जिस प्रकार आज के समय के पति–पत्नी या सम्बन्ध में बदलाव हुआ है पहले में पति–परमेश्वर और आज मित्रत व साथी जैसे होने लगे है।

आज के समय में विवाह एक धर्मिक संस्कार न होकर एक समझौता हो गया है जबकि आज के समय में विवाह–विच्छेद किया जा सकता है। व आज के समय में अन्य जातियों में प्रेम विवाह होने लगे है आज के समय वर–वधू का चयन खुद करते है जबकि कुछ समय पहले परिवार के लोग चयन करते है।

3 जिसमें कि पहले समय मे माता–पिता जो कहा देते थे वह होता था पर आज के समय में परिवार में सभी सदस्यों का सहमती व सलाह ली जाती है।

4 जिस कि पहले समय में घर से वहार महिलाओं नहीं जाती थी।

5 आज के समय महिला आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से स्वतन्त्र हुई।

भारत में तलाक की प्रवृत्तियाँ–

1. संयुक्त परिवार की जगह एकांकी परिवार में अधिक तलाक का होना।
2. ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में अधिक तलाक का होना।
3. वैवाहिक जीवन की अवधि बढ़ने के साथ दर घटती।
4. तलाक के बाद बच्चों के साथ सम्बन्ध।
5. वर्तमान प्रवृत्तियाँ की दरों में वृद्धि होगी।

केनिथ कॉलवर्न

इस अध्ययन का उद्देश्य यह जांचना है कि स्त्री और पुरूष के अनुभव में किस हद तक परिवर्तित हो रहें हैं। हम एक सर्वेक्षण प्रश्नावली से एकत्र मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा दोनों की जांच करके अभिसरण के मुद्दे पर विचार करते हैं, जिसमें इंडियानापोलिस में 268 व्यक्तियों को प्रशासित 189 क्लोज–एंड आइटम और 3 ओपन एंडेड आइटम शामिल हैं। तलाक का अनुभव चार आयामों के साथ

होता हैं (1) जीवनशैली, (2) विवाहित जीवन के प्रति दृष्टिकोण, (3) तलाक के बाद का जीवन और (4) तलाक के लिए समायोजन। हम मात्रात्मक विश्लेषण में प्रदर्शित करते हैं।

फ्रेडरिक ओ लॉरिन्ज

हमने वयस्क महिलाओं में तलाक और मनोवैज्ञानिक संकट के बीच दो अध्ययनों के आंकड़े के संयोजन से जांच की, जिनमें से एक किशोर बच्चों के साथ तलाकशुदा माताओं (n=188) और दूसरी विवाहित माताओं (n=308) की है। समय के साथ चार्ट परिवर्तन के लिए अव्यक्त विकास घटता का उपयोग करके डेटा को मॉडल किया गया है। तनावपूर्ण घटनाओं में अवसादग्रस्तता के लक्षणों में बदलाव आना। तलाकशुदा माताओं के लिए, तनावपूर्ण घटनाओं और अवसाग्रस्तता के लक्षण तलाक के तुरंत बाद काफी बढ़ गए और फिर अगले 3 वर्षो में कम हो गए, हालांकि विवाहित महिलाओं द्वारा रिपोर्ट किए गए समान स्तरों पर नहीं। डेटा एक प्रस्तावित मॉडल के अनुरूप थे, जिसमें सामाजिक कार्य और चयन दृष्टिकोण दोनों के पहलुओं को शामिल किया गया था।

पॉल आर अमेटो

मेरी समीक्षा 1990 के दशक में पांच सवालों के जवाब देने के लिए शोध पर आधारित हैः शादीशुदा और तलाकशुदा परिवारों के व्यक्ति भलाई में कैसे भिन्न हैं? क्या ये मतभेद तलाक या चयन के कारण हैं? क्या अंतर एक अस्थायी संकट को दर्शाते हैं, जिससे अधिकांश लोग धीरे–धीरे या स्थिर जीवन उपभेदों को अनुकूलित करते हैं जो कम या ज्यादा अनिश्चित काल तक बने रहते हैं? व्यक्तिगत समायोजन पर तलाक के प्रभावों का क्या कारक है? और अंत में, मध्यस्थों (सुरक्षात्मक कारक) क्या हैं जो तलाक के समायोजन में व्यक्तिगत परिवर्तनशील के लिए जिम्मेदार है? सामान्य तौर पर, संचित शोध बताते हैं कि बताते हैं कि वैवाहिक विघटन से लोगों के जीवन में काफी उथल–पुथल पैदा करने की क्षमता है। लेकिन लोग अपनी प्रतिक्रियाओं में बहुत भिन्न होते हैं।

शैल्बी बी0 स्कॉट

अध्ययन 52 तलाकशुदा व्यक्तियों के साक्षात्कार से निष्कर्ष प्रस्तुत करता हैं, जिन्होंने विवाहित होने के दौरान रोकथाम और संबंध संवर्धन कार्यक्रम (PREP) प्राप्त किया। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए अध्ययन ने तलाक के लिए प्रतिभागी कारणों (''अंतिम पुआल'' की पहचान सहित) को समझने के लिए यह जानने की कोशिश की कि क्या कार्यक्रम ने इन विषयों को प्रभावी रूप से कबर किया है। प्रतिभागियों ने अपने पूर्व शिक्षा संबंधी अनुभवों के आधार पर सुझाव दिए भी दिए ताकि भविष्य के संबंध शिक्षा प्रयासों को बेहतर बनाया जा सकें। तलाक के लिए सबसे अधिक सूचित प्रमुख योगदान प्रतिबद्धता, बेवफाई और संघर्ष/बहस का अभाव था। सबसे आम ''अंमित पुआल'' कारण बेवफाई घरेलू हिंसा और मादक द्रव्यो के सेवन थे।

परसिया (2007) के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि "दिल्ली भारत की (तलाक की राजधानी)" है, के रूप में उभरा है, यहाँ हर साल तलाक के लगभग 9000 मामले दर्ज होते हैं। यह संख्या 4 साल पहले की संख्या से लगभग दोगुनी है और 20–30 वर्ष की आयु के मध्य तेजी से उर्ध्व–गतिमान होते लोगों में तेजी से बढ़ रही है। वकीलों एवं विवाह परामर्शदाताओं के अनुसार तलाक बढ़ती संख्या का

एक प्रमुख कारण विवाह से बढ़ती अपेक्षाऐं है। इसके अतिरिक्त दिल्ली में तलाक को एवं सामाजिक कलंक न माना जाना भी एक सम्भावित कारण हो सकता है।

शर्मा सुधा (2007) की पुस्तक 'वुमेन मैरिज इन इण्डिया मैरिज, डिवोर्स एण्ड अडजस्टमैन्ट' भारत में विवाह सम्बन्धों को लेकर है। इस पुस्तक का केन्द्र महिला है। वे बताती हैं, कि किस प्रकार एक कन्या, जन्म से लेकर विवाह की आयु होने तक अपने माता–पिता के घर रहती है। विवाह पश्चात वह अपने पति के घर जाती है और समाज के नियमों के अनुसार मृत्युपर्यन्त वहीं रहती है। इस प्रकार वह अपने पूरे जीवन में पुरुषों पर ही निर्भर रहती है। उसे हमेशा ही कई तरह के समझौते करने पड़ते हैं। कई बार परिस्थितियाँ इतनी प्रतिकूल हो जाती हैं कि स्त्री को सम्बन्ध विच्छेद करने का निर्णय लेना पड़ता है। तलाक का कारण चाहे जो ही रहे समाज प्रायः स्त्री को ही दोशी मानता है।

सिंह सुखदेव (2012) की पुस्तक "हिन्दू लॉ ऑफ मैरिज एण्ड डिवोर्स" हिन्दू विवाह एवं तलाक से जुड़े विभिन्न क्रिया कलापों का विवरण देती है। लेखक ने अपने अध्ययन को तीन भागों में प्रस्तुत किया है।

प्रथम भाग– विवाह : इसके अन्तर्गत उन्होंने हिन्दू विवाह से जुड़े विभिन्न धार्मिक कर्मों का विवरण देते हुए उनकी महत्ता बताई है।

द्वितीय भाग– तलाक : इस भाग में उन्होंने विवाह के एक वर्ष के भीतर होने वाले तलाक के कारणों की विवेचना की है। विशेषतः उन्होंने क्रूरता के आधार पर होने वाले तलाकों का विश्लेषण किया है।

तृतीय भाग– कानून एवं क्रियान्वयन की विधि : इसके अन्तर्गत उन्होंने तलाक के दौरान एवं बाद में प्राप्त विभिन्न अधिकारों एवं विभिन्न विषयों की चर्चा की है। इनमें सम्मिलित विषय हैं– तलाक बाद महिला को दी जाने वाली राशि, बच्चों की कस्टडी से जुड़े नियम तथा अन्य महत्वपूर्ण विषय।

देसाई कुमुद (2014), की पुस्तक "इण्डियन लॉ ऑफ मैरिज एण्ड डिवोर्स" भारतीय संविधान में शमिल हिन्दू विवाह अधिनियम तथा सम्बन्धित अन्य कानूनों की चर्चा करती है। लेखिका ने तलाक के विस्तृत प्रक्रम एवं इससे जुड़े कानूनों को बताने के साथ–साथ महिलाओं के तलाक पश्चात् अधिकारों के बारे में भी बताया है। वे केवल हिन्दू धर्म की चर्चा ही नहीं करती वरन् मुस्लिम, पारसी, ईसाई आदि धर्मों में तलाक की स्थिति व स्त्री के अधकारों की भी चर्चा करती हैं।

नायक बिमलकान्त (2014) का लेख उड़ीसा के किओनजर जिले की 30 तलाकशुदा महिलाओं के अध्ययन पर आधारित है यहाँ उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को अध्ययन हेतु लिया है। उन्होंने यह जानने का प्रयास किया है कि ग्रामीण उड़ीसा में तलाकशुदा महिलाओं को किन–किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

परिणामतः उन्होंने पाया कि ये महिलाऐं विभिन्न मानसिक एवं सामाजिक समस्याओं का सामना करती हैं। तलाक होते ही समाज का महिला के प्रति व्यवहार एवं नजरिया पूर्णतः बदल कर नकारात्मक हो जाता है। शोधकर्ता के अनुसार समाज को तलाक को रोकने के लिए महती भूमिका निभानी चाहिए ताकि महिलाएं तलाक के बाद होने वाली समस्याओं से बची रहें।

गौतमी कपिला एवं कुमार अरुण (2015) का लेख 60 तलाकशुदा महिलाओं द्वारा किए गए साक्षात्कार पर आधारित है। उनके अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह जानना है कि भारत में तलाकशुदा महिलाएं कितनी संतुट हैं एवं किस स्तर तक मुख्य धारा से जुड़ी हुई हैं?

उन्होंने दो समूहों में अध्ययन किया, समूह–1 वे महिलाऐं जिनके तलाक को 5 वर्ष से कम समय हुआ है, समूह–2 वे महिलाऐं जिनके तलाक को 5 वर्ष से अधिक समय हुआ है। उन्हें सकारात्मक परिणा प्राप्त हुए तथा समूह–1 एवं समूह–2 के परिणामों में अधिक अन्तर नहीं दिखाई दिया।

पेटीसन (2001) ने अपने अध्ययन में पाया कि 29 वर्ष से कम के व्यक्तियों में सबसे बड़ी चिन्ता विवाह उपरान्त वित्तीय स्थिति, "नौकरी और परिवार में सन्तुलन और यौन सम्बन्धों की आवृत्ति" है। इसी प्रकर 30 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों के सामने उपरोक्त चिन्ताओं के अतिरिक्त निरन्तर गृह कलेश और गृह कार्य के प्रति एक दूसरे से अपेक्षाऐं भी है। इस अध्ययन हेतु देव निदर्शन द्वारा एक प्रश्नावली को 947 विवहित जोड़ों या 1894 व्यक्तियों को भेजा गया जिनमें से 793 व्यक्तियों में प्रश्नावलियों का उत्तर दिया।

शर्मा बेला रानी (1997)[24] की पुस्तक ''वुमेन मैरिज, फैमिली, वायोलेन्स एण्ड डिवोर्स'' में तलाकशुदा महिलाओं को अपने अध्ययन में शामिल किया गया है। तलाक को उन्होंने समाज के लिए अत्यन्त अहितकारी माना है। इसमें उन्होंने उन कारणों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है जिनके कारण तलाक होते हैं।

मुख्यतः जिलन कारणों पर उन्होंने प्रकाश डाला है वे हिंसा से जुडे कारक है। इस पुस्तक में उन्होंने महिलाओं का उनके अधिकारों की भी जानकारी दी है। लेखिका महिलाओ के प्रेरणा हेती है कि वे हिंसा ना सहें तथा अपने अधिकारों को लेकर सजग रहें।

तलाक को उपरोक्त प्रवृत्तियों को कई विद्धानों ने अपने विशिष्ट अध्ययनों द्वारा प्रमाणित भी किया है इसमें कुछ विशिष्ट केश स्टेडी को निम्नलिखित रूप में रेखांकित किया जा सकता है। जिस प्रकार अध्ययनों से ज्ञात होता ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की तुलना में शहरी क्षेत्र की महिलओं में अधिक तलाक पाया जाता है। कार्यरत महिलाओं में अधिक समस्या देखने को मिलती है, गृहणी महिलाओं में तलाक की समस्या कम देखने को मिलती है।

सन्दर्भ

1. Kenneth, Colburn Jr. PhD. (1992). *Journal of Divorce & Remarriage*. Volume 17. Issue 3-4. Pg. **87-108.** Published online: 25 Oct 2008: https://doi.org/10.1300/j087v17n03_06.
2. Frederick, O. Lorenz. (1997). Married Recently Divorced Mothers Stressful Events and Distress Tracing Charge Across Time Feb. *Journal of Marriage andfamily*. 59(1). Pg. **219.** DOI 10.2307/353674.
3. Paul, R. Amato. (2004). *Journal of Marriage and Family*. Volume 62. Issue 4. First published : 02 March. http://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2000.01269.x.

4. Shelby, B. Scott. (2013). *Couple Family Psychol*. Jun. 2(2). Pg. **131-145.** Doi : 10.1037/a0032025 doi: 10.1037/a0032025.
5. Pasricha, Pallavi. (2007). "What Makes Delhi the Divorse Capital". 4 Aug. Times of India.
6. शर्मा, सुधा. (2007). Women marriage in India : Marriage, Divorce and Adjustment. वाइटल पब्लिकेशन्सः जयपुर।
7. सिंह, सुखदेव. (2012). Hindu law of marriage and divorce. यूनिवर्सल लॉ पब्लिकेशन्सः गुडगांव, हरियाणा।
8. देसाई, कुमुद. (2014). Indian Law of Marriage and Divorce. लेक्सिस नेक्सिस पब्लिकेशन्सः न्यूयॉर्क।
9. नायय, बिमलकान्त. (2014). Life after dovorce of women in rurual odhisha, India, *इण्टरनेशलन जरनल ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड सोशल साइन्स रिसर्च.* खण्ड 3(08). आई.एस. एसए. 2391–44211.
10. गौतमी, कपिला., कुमार, अरूण. (2015). Life satisfaction and resellence among deveroced women in India. *द इण्टरनेशलन जरनल ऑफ इण्डियन साइकोलॉजी.* खण्ड 3(08). आई. एस.एसए. 2349–34291.
11. Pattison, Mark. (2001). Study on access the Center for Marrige and Family's. Website. www.creighton.edu/Marriageand Family/. "Time, sex, money biggest obstacles for young married Couples".
12. शर्मा, बेला रानी. (1997). Women Marriage, Family, Violence and Divorce मंगलदीप पब्लिकेशनसः जयपुर।